

FORM NO. III

APP-A
Orim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2021/196

जिल्ला अति. जिला रजिस्टर मुकाम सुनसरी
 कष्टकार कृष्णसिंह/श्रीराम कुहाडवासे बनाम तहसीलदार लुहाना
 नं. अपील 46 सन् २०२१

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25/8/21	यह अपील अधिवक्ता श्री विजयपाल सिंह द्वारा पेश करने पर बाद जांच पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत तलवाने पर रेस्पोंडन्ट की तलबी जारी हो मिसल मातहत तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 04.08.2021 को पेश। अति. जिला कलक्टर सुनसरी	
4/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उप। पत्रावली वास्ते मिसल नतकी दिनांक 6/9/21 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर सुनसरी	
6/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उप। अधिनियम न्यायलय की पत्रावली प्राप्त हुई जो अपील की गरी पत्रावली वास्ते वकस दिनांक 27/9/21 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर सुनसरी	
27/9/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक राय द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक 27/10/21 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर सुनसरी	
26/10/21	पत्रावली पेश हुई। अकारण उपस्थित पी ओ साहब आज राजकार्य अकारण भ्रमण पर है पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक 16/11/21 को पेश। सीडर	
6-7-2021	पत्रावली पेश हुई। अकारण उपस्थित पी ओ साहब आज राजकार्य अकारण भ्रमण पर है पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक 12/01-22 को पेश। सीडर	



12/1/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 7/2/22 को पेश हो।

7/2/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 9/3/22 को पेश हो।

9/3/22

पत्रावली पेश हुई उरुण राईप लोक अदालत दिनांक 12/3/22 में सुचीक है। वकील अपील को सुचित किया गया। पत्रावली वास्तु सनवाई दिनांक 12/3/22 को पेश हो

अति. जिला कलेक्टर
सुंखुं

12/3/22

पत्रावली लोक अदालत दिनांक 12/3/22 में निम्न होते पर आप पेशी में ली गई। पत्रावली उप-न ही होते के कारण पत्रावली के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की सकी। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 14/4/22 को पेश है

अति. जिला कलेक्टर
सुंखुं

14/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली उप-पत्रावली वास्तु बटस हूँ अद्विग अवसर दिनांक 20/4/22 को पेश हो

अति. जिला कलेक्टर
सुंखुं

20/4/2022

इस अपील को आगे नहीं चलाया जायें अपील विद्वा करता हूँ

पत्रावली पेश हुई। विधान अधिवक्ता उग्रपद उपस्थित। विधान अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि वे इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते, अपील को विद्वा करता हूँ। खैरी स्थिति में अपील अपीलान्ट विद्वा के आधार पर खारिज की जा रही है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली जैल सुभार होकर दर्ज नम्बर से कम हो गया बाद तकमील जावता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलेक्टर
सुंखुं